सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या - 9 राँची, बुधवार

23 जून, 2021 (ई०)

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	131--136
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	
भाग-4–झारखण्ड अधिनियम	
भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-9- विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
पूरक-- ...	...
पूरक "अ" ...	...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

अधिसूचना
16 जून, 2021

संचिका संख्या-01/स्था0अराज0(विविध)-16/2020 सह0-519--उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के पत्रांक-316/गो0 दिनांक-13.04.2020 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-593 दिनांक-15.05.2020 द्वारा श्री लोकनाथ महतो, जिला सहकारिता पदाधिकारी, लातेहार को कोरोना महामारी जैसी आपातकालीन स्थिति में बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर रहने तथा उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार द्वारा निदेशित किये जाने के बावजूद मुख्यालय में उपस्थित नहीं होने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना तथा सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने संबंधी आरोप के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 9(1)(क) के तहत् उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

श्री महतो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इस संदर्भ में श्री महतो के द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-11.06.2020 से समर्पित कारण पृच्छा के सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1379 दिनांक-30.09.2020 द्वारा श्री महतो को भविष्य में सचेत रहने की **"चेतावनी"** देते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

श्री लोकनाथ महतो, जिला सहकारिता पदाधिकारी, राँची ने अपने कार्यालय पत्रांक-26 दिनांक-15.01.2021 द्वारा अपने निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन भुगतान करने के संबंध में अपना अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया ।

झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 में विहित प्रावधानों के आलोक में श्री महतो से प्राप्त उक्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त श्री महतो के निलंबन अवधि (दिनांक-15.05.2020 से 30.09.2020 तक) का अनुमान्य वेतन/भत्ते का 90% (नब्बे प्रतिशत) भुगतान का आदेश दिया जाता है। उक्त भुगतान के क्रम में पूर्व में दिए गए जीवन निर्वाह

भत्ता एवं अन्य भत्तो का समायोजन कर लिया जायेगा। साथ ही उक्त निलंबन अवधि कर्त्तव्य में टूट नहीं मानी जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राकेश रौशन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

3 जून, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-02/2020-6055 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री उज्जवल कुमार सोरेन, पंचम बैच (गृह जिला-दुमका) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	**Employee Name G.P.F. No.**	**Current Department**	**<u>Current Office</u> Current Designation**	**Joining Date in Service**	**Date of Service Confirmation**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	UJJWAL KUMAR SOREN- (110007710588)	DC OFFICE BOKARO	<u>JARIDHI BLOCK ,BOKARO</u> Block Development Officer	15/06/2016	13/12/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3017

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं VISHAL LODHA पिता DURGA DUTTA LODHA, शपथ पत्र सं० 8, दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 के अनुसार BISHAL KUMAR LODHA के नाम से जाना जाऊँगा ।

VISHAL LODHA एवं BISHAL KUMAR LODHA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PERMANENT RESIDENT-- VILLAGE- CHAKULIA, PURANA BAZAR,
DISTRIC- EAST SINGHBUM,
STATE- JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MD. SHAMSHAD ALAM पिता MOHAMMAD FAKHRE ALAM शपथ पत्र सं० 2041, दिनांक 28 अगस्त, 2020 के अनुसार MOHAMMAD SHAMSHAD ALAM के नाम से जाना जाऊँगा।

MD. SHAMSHAD ALAM एवं MOHAMMAD SHAMSHAD ALAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PERMANENT RESIDENT-- HUSSAINA,
P.O.-HUSSAINA,
P.S.- BALLIA,
DIST.- BEGUSARAI, BIHAR.

PRESENT RESIDENT-- A/P ARVINDO NAGAR,
P.O.- DORANDA,
P.S.- DORANDA,
DIST.- RANCHI,
STATE— JHARKHAND,

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं JASIM AKHTAR पिता LATE ZAHID ANSARI शपथ पत्र सं० 77, दिनांक 17 मार्च, 2020 के अनुसार JASIM AKHTAR ANSARI के नाम से जाना जाऊँगा ।

JASIM AKHTAR एवं JASIM AKHTAR ANSARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PERMANENT RESIDENT-- VILLAGE – DIPATOLI,
P.O.- PUNDAG,
P.S.- JAGARNATHPUR,
PIN-834004,
DISTRICT- RANCHI,
STATE- JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PRAMOD CHANDRA PRAVAKER पिता SUBODH NARAYAN YADAV शपथ पत्र सं० 446, दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के अनुसार PRAMOD CHANDRA PRAVAKAR के नाम से जाना जाऊँगा ।

PRAMOD CHANDRA PRAVAKER एवं PRAMOD CHANDRA PRAVAKAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PERMANENT RESIDENT-- Qr.NO.-2228, SECTOR-4/G,
P.O.+ P.S.- SECTOR-4, BOKARO STEEL CITY,
DIST.- BOKARO
PIN- 827004
STATE—JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं वसिमा खातुन पति स्व० शेख गुलजार, शपथ पत्र सं० 1275, दिनांक 14 सितम्बर, 2019 के अनुसार श्रीमती असीमा के नाम से जानी जाऊँगी ।

वसिमा खातुन एवं श्रीमती असीमा दोनों एक ही महिला का नाम है ।

निवास स्थान -- ग्राम-छोटकोलमा,

पोस्ट-एदलहातु

थाना- बुण्डू

जिला- राँची

झारखण्ड ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 9 -- 50 ।